न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–782/2017

1. शिवराम पुत्र श्री रामप्रसाद उर्फ प्रसादी यादव जाति अहीर निवासी–विराठनगर जयपुर राजस्थान

–अपीलार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर रेस्पोडेन्ट

2.राजू उर्फ धोला राम पुत्र रामप्रसाद उर्फ प्रसादी यादव जाति अहीर निवासी–ग्राम गणेश रोड विराटनगर, जयपुर **–तरतीबी रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित अधिवक्तागण:

1– श्री एन0 के0 यादव अपीलांट्स की ओर से

2–श्री जी0 एल0 मीणा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–12–03–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–06–2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर जिला जयपुर के वाद सख्या 101/2016 बउनवानी सरकार बनाम शिवराम व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलान्ट प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वाके ग्राम विराटनगर तहसील विराटनगर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 5005/2999 रकबा 0.245 हैक्टेयर मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 शिवराज राजू पुत्रान रामप्रसाद जाति अहीर निवासी–ग्राम विराटनगर के नाम राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज है तथा आगे अपने अभिवचनों में यह निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण बिना सक्षम स्वीकृति के उपरोक्त आराजीयात में कॉलोनी विकसित करने के उद्धेश्य से सडक बनाते हुये प्लोटिंग कर दी है तथा मुतदाविया आराजीयात कृषि से भिन्न कार्यो में उपयोग व उपभोग में ली जा रही है जो कि अवैधानिक है। इसलीये उपरोक्त आराजीयात को सिवाई चक घोषित करते हुये राजस्व भू–अभिलेखों में उक्त कृषकों का नाम निरस्त किया जावे। क्योंकि अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यों से राज्य सरकार को अपूतनीर्यय क्षति कारित हो रही है तथा साथ में यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुतदाविया आराजीयात को कब्जे राज में लिया जाकर अप्रार्थीगण को मुतदाविया आराजीयात से बेदखल करते हुये उक्त आराजीयात को सिवाई चक दर्ज किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3– अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड विराटनगर जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 36–6–2017 (वाद सख्या 101/2016) बउनवानी सरकार बनाम शिवराम व अन्य तथ्यों एवं कानूनी प्रक्रिया के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करने के पश्चता मिन अपीलार्थी की कभी भी कोई सम्यक तामिल नहीं कराई गई तथा ना ही पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही उपलब्ध है जिसके आधार पर मिन अपीलान्ट की कभी भी कोई संयक तामिल अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कराई गई हो जब अपीलान्ट वाद–पत्र में वर्णित पते पर निवास नहीं करता तो प्रार्थना–पत्र में वण्रित पते पर उनको नोटिस संयक तामिल होन का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता मिन अपीलान्ट पूराने ग्राम विराटनगर में रहता है उस पर कभी भी अपीलान्ट का कोई नोटिस अधिनस्थ न्यायालय हाजा का प्राप्त ही हुआ।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13–4–2017 को दर्ज फर्द अहकाम पूर्ण रूपेण अवैध दर्ज की गई है। मिन अपीलान्ट कभी भी दिनांक 13–04–2017 के पूर्व न तो हाजीर अदालत हुआ तथा नाह ी कोई नोटिस अपीलान्ट को उपरोक्त प्रकरण बाबत कभी प्राप्त ही हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक 13–4–2017 को बिना विधिक सम्यक तामिल हुये बिना ही माकूल तामिल मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही कर अवैध अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–06–2017 प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों की तोहीन करते हुये मिन अपीलान्ट को बिना साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि विधिक सिद्धांत ''ओडियो अल्टर्म पार्टेम'' के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की बिना सम्यक तामिल हुये दिनांक 13–04–2017 को अपीलान्ट की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र दिनांक 20–4–2017 मुकरर की गई थी तथा दिनांक 20–04–2017 से पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 04–05–2017 मुकर्रर की गई थी। दिनांक 04–05–2017 को पत्रावली में क्या अग्रीम कार्यवाही हुई इस बाबत फर्द अहकाम गुपगुप है तथा पत्रावली को दिनांक 4–5–2017 से बिना तारीख पेशी तबदील किये पूर्ण रूपेण विधि प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये सीधे तौर पर पत्रावली को अधिनस्थ न्यायलय द्वारा प्रभावित होने वाले पक्षकारान को बिना साक्ष्य समर्थन एंव सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही भाला–भाला दिनांक 30–6–2017 को पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखकर अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से पूर्ण रूपेण राजस्व लोक अदालत कैम्पों की मंशा का उपहास उडाया गया है। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त आदेश धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय में वर्णित प्राावधानों के विपरित जाकर प्रदत्त किया गया है। धारा 177 में किसी भी खातेदार की खातेदारी निरस्त की जाकर सिवाई चक दर्ज करने के कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।केवल मात्र ऐसे खातेदार व्यक्ति के विरूद्ध बेदखल किये जाने का कानूनी प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी

है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर बेदखल किये जाने के आदेश बाबत कोई निर्णय पारित नहीं कर मुतदाविया आराजीयात को सिवाई यक घोषित किये जाने के आदेश करते हुये मिन अपीलान्ट का नाम हजफ किये जाने का आदेश करते हुय मिन अपीलान्ट का नाम हजफ किये जाने का आदेश पूर्ण रूपेण प्रथमदृष्टया ही अवैध आदेश है।किसी भी वाद–पत्र को साबित करने के लिये उस पक्षकार को जरिये ओथ शपथ–पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी प्रावधान है जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित विषय है अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष न तो तहसीलदार अथवा ना ही पटवारी का प्रकरण को साबित करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। कानूनी प्रावधान है कि वादी को अपना वाद पत्र बिना किसी संदेह के साबित करना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में केवल मात्र प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है किसी भी सरकारी व्यक्ति का शपथ–पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर उनके कथनों को सत्य माना जा सके। अपीलान्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि मे ंकोई आवासीय कॉलोनी स्थापित नहीं की है। अपीलान्ट की उक्त खसरा नम्बर के पश्चिमी दिशा में स्पर्श करते हुए अन्य खातेदारी भूमि है जिसपर आने जाने हेतु वादग्रस्त भूमि में से रास्ता का निर्माण किया गया है जो सुधार की परिभाषा में आता है तथा जिसके लिये कोई इजाजत की आवश्यकता नहीं होती है। बंधो का निर्माण, मिटटी डालकर खेत उन्नत करने का प्रावधान, बाड के पानी को मिट्टी डालकर रोकना तथा कृषि उन्नती के लिये अन्य कोई सुधार करना किसी भी सुरत में धारा 177 के अन्तर्गत समाहित नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 177 का पूर्ण रूपेण दुरूपयोग करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। धारा 177 के अन्तर्गत आदेश पारित करने से पूर्व मौके की संपूर्ण भौतिक जांच किया जाना कानूनी आवश्यकीय होता है।मौके पर न तो कोई प्लाटिंग मौजूद है तथा ना ही मौके पर एक मात्र मकान ही स्थित है।मौके पर ंसपूर्ण खसरा नम्बर में न तो कभी कोई नींव की खुदाई हुई तथा ना ही मौके पर आवासीय भूखण्डों बाबत सीमा चिन्ह कायम किये गये। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा 2000 आरबीजे पेज 340 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरबीजे 1996 पेज 213 में धारा 177 काश्तकारी अधिनियम में विग्रत प्रावधानों की पूर्ण रूपेया व्याख्या करते हुये यह फाईडिग दी गई है कि उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने के पूर्व मौके की रिपोर्ट बनाने वाली पटवारी हल्का का शपथ–पत्र के साथ रिपोर्ट प्रेषित करना कानूनी आवश्यकीय है।प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 20–10–2016 की जो रिपोर्ट मौका फर्द पटवारी हल्का द्वारा निर्मित कर प्रस्तुत की गई पूर्ण रूपेण अवैध रिपोर्ट है कानूनन विधिक प्रक्रिया के अनुरूप स्वयं तहसीलदार अथवा उक्त प्रकरण में स्वयं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर्ता तहसीलदार स्वयं होने के कारण अन्य कोई सक्षम अथोरिटी से अथवा स्वयं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका मुआयना करते हुये न्यायोचित आदेश पारित किया जाना चाहिये थे।उक्त फर्द मौका पूर्ण रूपेण काल्पनिक बनावटी फर्द मौका रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

है। अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2017 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर पारित किया गया है नोटिस की सम्यक तामिल नहीं करवाई गई है, न ही पत्रावली को कैम्प में रखे जाने के लिये कोई नोटिस जारी किये गये है।अपीलाधीन निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के प्रावधानों के खिलाफ है।वादी तहसीलदार द्वारा अपने वाद को साबित नहीं किया गया है न ही विधिवत कोई मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।वास्तव में अपीलान्ट द्वारा मौके पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है तथा कृषि सुधार के उद्वेश्य से तथा कृषि साधनों के आवागमन हेतु रास्ता बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रास्ता बनाये जाने को अकृषि उपयोग मानते हुए अपीलान्टस की खातेदारी समाप्त करने का निर्णय पारित किया गया है जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है जिसे निरस्त किया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि में बिना किसी सक्षम आदेश के आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है।अधिनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है।मौके पर सडक का निर्माण कर लिये जाने से भूमि का अकृषि उपयोग किया गया है।न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामील करवाया गया है तथा बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है अपील अस्वीकार फरमाई जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमिधारी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 5005/2999 रकबा 0.245 हैक्टैयर को कब्जा राज में लिये जाने एवं अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को सिवाय चक किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के मद सख्या 02 में उल्लेख किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का उक्त आराजीयात में अप्रार्थीगण ने बिना किसी सक्षम स्वीकृत के कॉलोनी काटने के उद्वेश्य से मोरम डालकर सडक बना रखी है एवं प्लाटिंग करने हेतु चिन्ह लगा रखे

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

है अर्थात कृषि से भिन्न कार्य में उपयोग लिया जा रहा है।प्रार्थी द्वारा उक्त कथन करते हुए भूमि को सिवाय चक घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा अन्तर्गत 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिसों से स्पष्ट है कि नोटिस स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त किये गये है तथा उनके उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। न्यायालय द्वारा पत्रावली में दिनांक 20–04–2017 को आगामी पेशी दिनांक 04–05–2017 नियत की गई हैं परन्तु पत्रावली में 04–05–2017 को कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा पत्रावली दिनांक 30–06–2017 को सीधे ही राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट विराटनगर में रखी गई है।दिनांक 30–06–2017 की आदेशिका में उल्लेख है कि '' पैरोकार सरकार उपस्थित अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।बहस सुनी गई निर्णय प्रार्थना–पत्र पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल कर सुनाया गया। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।''उक्त विवेचन के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में रखे जाने बाबत कोई नोटिस जारी किया जाना पत्रावली से जाहिर नहीं होता है।इस प्रकार प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व अप्रार्थीगण को सुचित नहीं किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को वाद–पत्र के रूप में दर्ज किया गया है तथा प्रकरण का निस्तारण आदेशिका दिनांक 30–06–2017 के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर किया है तथा जो निर्णय पृथक से लिखाया गया है उसमें उल्लेख किया है कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है।इस प्रकार न्यायालय स्वयं प्रकरण को निस्तारित करने में भ्रमित दिखाई दे रहे है। वाद एवं प्रार्थना–पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया भिन्न–भिन्न है।वाद की स्थिति में वादी को अपना वाद बखूबी साबित करना होता हैं। प्रकरण में दिनांक 13–04–2017 की आदेशिका में उल्लेख किया है कि ''पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया पूर्व में प्रतिवादीगण उपस्थित हुए है आदिनांक तक वकालतनामा जवाब दावा पेश नहीं किया गया अतः प्रतिवादीगण सख्या 1, 2 को बार–बार आवाज लगवाई गई। इनकी तरफ से आज कोई उपस्थित नहीं आया तामील पर्याप्त मानी गई अतः प्रतिवादीगण सख्या 1 ,2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।'' उक्त आदेशिका से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को वाद के रूप में दर्ज किया गया है एवं वाद के रूप में सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गई है।प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने क उपरान्त वादी को अपना वाद साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित किये जाने चाहिए था जो कि नहीं किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा किये गये अभिवचनों को स्वतः सिद्ध समझते हुए वाद को डिकी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि मिन पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया है, परन्तु पत्रावली पर कोई मौका रिपोर्ट उपलब्ध

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

नही हैं।वादग्रस्त भूमि पर मोरम डालकर रास्ता बना लिये जाने के आधार मात्र पर एक खातेदार की खातेदारी का अवसान कर दिया जाना कठोरतम आदेश है।धारा 177 में इसका कोई प्रावधान नहीं है। धारा 177 में मात्र बेदखली का प्रावधान है और इससे पूर्व भूमिधारी को धारा 179 के तहत क्षतिपूर्ति, प्रतिकार इत्यादि के लिये वाद लाना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि के कृषि भिन्न उपयोग किये जाने की संभावना मात्र के आधार पर निर्णय पारित किया गया हैं जो कि उचित नही है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वादग्रस्त भूमि का आवासीय उपयोग कर लिया गया हो।यहॉ तक कि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2069 से 2072 से स्पष्ट है कि संवत 2069 व 2070 एवम 2071 में संपूर्ण भूमि को काश्त किया गया है तथा संवत 2072 में पडत रही है इसका आशय है कि संवत 2072 तक कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है। वादी द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रकिया संबंधी सारभूत त्रुटि कारित की गई है।उपर्युक्त विवेचन से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–06–2017 बहाल रखा जाने योग्य नहीं है तथा अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7– अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2017 निरस्त किये जाते है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

8– निर्णय आज दिनांक 12–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर